

डिकी मुकदमा इब्तदाई

(ओ० 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, मुकाम - हिण्डौन जिला करौली
इजलास हेमराज गुर्जर, R.A.S.

उनवान

1. धर्मेन्द्रनाथ पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन जिला करौली — मृतक
- 1/1. अरविन्द चतुर्वेदी पुत्र स्व० धर्मेन्द्रनाथ जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन हालवासी शिषा
महू बाजार, कानपुर जिला कानपुर।
2. राधेश्याम पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन जिला करौली — मृतक
- 2/1. पीयूष चतुर्वेदी | पिसरान स्व० राधेश्याम चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण
- 2/2. प्रशान्त चतुर्वेदी | निवासी चौबेपाडा हिण्डौन जिला करौली
- 2/3. मु० शकुन्तला बेबा राधेश्याम चतुर्वेदी जाति ब्राह्मण निवासी चौबेपाडा हिण्डौन जिला
करौली
3. नरेन्द्रनाथ पुत्र जगदीश प्रसाद जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन जिला करौली - मृतक
- 3/1. मनीष पुत्र नरेन्द्रनाथ जाति ब्राह्मण निवासी चौबेपाडा हिण्डौन हाल अरेरा कोलोनी
भोपाल मध्य प्रदेश
- 3/2. श्रीमती सुमन चतुर्वेदी बेबा नरेन्द्रनाथ जाति ब्राह्मण निवासी चौबेपाडा हिण्डौन हाल
अरेरा कोलोनी भोपाल मध्य प्रदेश
4. विवेश कुमार पुत्र यतेन्द्र कुमार जाति ब्राह्मण निवासी हिण्डौन जिला करौली - वादीगण

बनाम

1. इन्दरलाल | पिसरान परसादी समस्त जाति ब्राह्मण
2. राधेश्याम
3. घनश्याम | निवासी चौबे पाडा हिण्डौन जिला करौली
4. ओमप्रकाश
5. यशवन्त
6. मु० बल्ला बेबा रामकिशोर | जाति ब्राह्मण निवासी चौबे पाडा हिण्डौन
7. जितेन्द्र उर्फ जीतू पुत्र रामकिशोर | जिला करौली राजस्थान
8. रितेश पुत्र रामकिशोर
9. लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन जिला करौली राजस्थान — प्रतिवादीगण


उपखण्ड अधिकारी
हिण्डौन सिटी (करौली)

दावा बाबत् उद्घोषणा खातेदारी
इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा,

मुकदमा नं० 18/2012

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजिरी श्री अशोक नीमनका एवं श्री सीताराम गुर्जर एडवोकेट मिन कानिव मुदई रूबरू श्री राधेश्याम शर्मा एडवोकेट मिन जानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि दावा वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण बाबत् उद्घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88, 188 व 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम आराजी खसरा नम्बर 1326 रकबा 0.44 है०, 1327 रकबा 0.01 है०, 1328 रकबा 0.44 है०, 1329 रकबा 0.44 है०, 1330 रकबा 0.41 है०, 1331 रकबा 0.05 है०, 1332 रकबा 0.30 है०, 1333 रकबा 0.40 है०, 1336 रकबा 0.32 है०, 1337 रकबा 0.37 है०, 1338 रकबा 0.07 है०, 1339 रकबा 0.04 है० वाके कस्बा हिण्डौन तहसील हिण्डौन खारिज किया जाता है।

बसबा मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 26.09.2025 को यह डिक्री जारी की गई।


(हेमराज गुर्जर) 26/9/25
उपरवाड अधिकारी
हिण्डौन सिदा कसबा
हिण्डौन जिला करौली